राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड

संक्षिप्त नोट

भारत सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों की भांति राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन एक स्वायत्तशाषी संस्था के रूप में किया जाकर इसका पंजीकरण राज0 संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत 25 मार्च, 1998 को किया गया है। बोर्ड को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार द्वारा 26.02.01 को राष्ट्रीय गाय एवं भैस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) के क्रियान्वयन के लिये ****राज्य क्रियान्वयन ऐजन्सी**** घोषित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता बढाना है।

बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन पशुपालन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, आर.सी.डी.एफ., स्वयंसेवी संस्थाओं आदि एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। एन.पी.सी.बी.बी. फेज–1 (वर्ष 2002 से 2007) के अंर्तगत कुल 1049.30 लाख रूपये की राशि की योजनाऐं क्रियान्वित की गई। एनपीसीबीबी फेज–2 के पांच वर्ष (वर्ष 2007–2012) हेतु 3527.54 लाख की स्वीकृति का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है, तथा मार्च, 2014 तक राशि रू0 2544.24 लाख उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

वर्तमान योजनायें/ कार्यक्रम :–

1. **कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुदृढ़िकरण एवं संचालन :** इस कार्यक्रम के लिये पशुपालन विभाग को तरल नत्रजन एवं हिमकृत वीर्य की निर्बाध आपूर्ती बनाये रखने की दृष्टि से दिनांक 01.08.2011 से 30/– रूपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क बोर्ड के खाते में माह में एक बार सभी जिलों द्वारा जमा करवाया जा रहा है जिसका उपयोग तरल नत्रजन, हिमकृत वीर्य तथा अन्य कृत्रिम गर्भाधान उपकरण क्रय हेतु किया जा रहा है।

   कार्यक्रम के अंतर्गत सीमन स्टेशन एफ.एस.बी., बस्सी व जर्म प्लाज्म स्टेशन, नारवां खिंचीयान (जोधपुर) के सुदृढिकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु सांडो के क्रय हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग के सात संभाग मुख्यालयों पर सीमन डिपो स्थापित करने एवं उनके सुदृढिकरण हेतु भी प्रावधान उपलब्ध है।

2. **तरल नत्रजन परिवहन एवं वितरण कार्यक्रम का सुदृढ़िकरण**– तरल नत्रजन परिवहन एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढिकरण हेतु स्टोरेज टैंकर (वर्टिकल साइलो), माउन्टेड टैंकर तथा 55 लीटर क्षमता के क्रायोजार तथा छोटे जार हेतु भी समुचित प्रावधान है। परिवहन व्यवस्था हेतु 28 मल्टीयूटिलिटी वाहन भी क्रय करवाकर 28 स्थानो पर पशुपालन विभाग को उपलब्ध करा दिये गये है। तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिला बाडमेर, सीकर, अलवर तथा डूंगरपुर को मल्टीयूटिलिटी वाहन क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करवा दी गई है।

LIQUID NITROGEN FROM MANUFACTURER COMPANY

EX-FACTORY SUPPLIES FROM MANUFACTURERES TANKERS

FOR SUPPLIES FROM MANUFACTURERES TANKERS

INDENTING OFFICES OF DAH

VERTICAL SILO AT INDENTING OFFICES

VERTICAL SILO AT INDENTING OFFICES

VERTICAL SILO AT INDENTING OFFICES

VERTICAL SILO AT INDENTING OFFICES

VERTICAL SILO AT INDENTING OFFICES

VERTICAL SILO AT INDENTING OFFICES

LIQUID NITROGEN TRANSPORTED TO DISTRICTS AND NODAL OFFICES THROUGH MUV`S

MUV`S DISTRIBUTE LIQUID NITROGEN TO FEEDING CENTERS AT NODAL

FEEDING CENTERS

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

FEEDING CENTERS DISTRIBUTE TO AI INSTITUTIONS AT VILLAGE LEVEL

ARTIFICIAL INSEMINATION CENTERS

AIC AI

AI C CENTER

AIC

AIC

AIC

3. **बछडा पालन पशुपालक के द्वार पर–** इसके अंतर्गत पशुपालक के द्वार पर ही अधिकतम 24 माह की अवधि तक चिन्हित बछडो का पालन–पोषण किया जाता है। इसके लिये पशुपालको को 10,000 रू0 की सहायता (4 किश्तो में) उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है।

4. **National Diary Plan (NDP-1)** इस योजना के अन्तर्गत देशी थारपारकर नस्ल की गौवंश को वंशावली चयन द्वारा संवर्धन किया जायेगा। यह योजना एन.डी.डी.बी. गुजरात द्वारा स्वीकृत कर वित्तीय प्रावधान मय, आर.एल.डी.बी. के माध्यम से राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के थारपारकर बाहुल्य क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत प्रस्तुत कार्य योजना हेतु वर्ष 2014 से वर्ष 2018 (तीन वर्ष) हेतु राशि रू. 5. 96 करोड स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु राशि रूपये 89.00 लाख राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड को प्राप्त की गयी है। वर्तमान में प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन तथा 50 नवीन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना हेतु मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

5. **प्राकृतिक परिसेवा हेतु प्रजनन योग्य सांडो की उपलब्धताः–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयस्क सांडो को सीधे ही प्राकृतिक परिसेवा के लिये फील्ड में उपलब्ध करवाया जाना होता है जिसके लिये 20,000/– रूपये प्रति सांड की दर से राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

उपरोक्त सांडो के बीमा के लिये रू0 1000/–प्रति सांड तथा सेक्सुली ट्रांसमिटेड डिजीज टेस्टिंग के लिये रू0 1500/– प्रति सांड के हिसाब से राशि प्रावधित है।

6. **फील्ड कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का सुदृढिकरणः–** कार्यक्रम के अंतर्गत नये कृ0ग0 केन्द्रो, जिन पर प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायकों को रखा जावेगा तथा उन्हे कृत्रिम गर्भाधान उपकरण दिलाये जाने हेतु राशि प्रदान की जावेगी।

इसके अतिरिक्त वर्तमान कृ0ग0 केन्द्रो को मोबाईल केन्द्रो में प्रवर्तित करने हेतु आवश्यक उपकरण दिलवाये जाने हेतु भी प्रावधान उपलब्ध है।

7. **मानव संसाधन विकासः–** इसके अंतर्गत वर्तमान कृ0ग0 कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु समुचित बजट प्रावधान किया गया है।

- **कत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम :–** प्रदेश में विभागीय एवं निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग के आरएसएलएमटीआई, जयपुर एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा, जोधपुर तथा उदयपुर में क्रमशः अधिकारियों एवं पैरावेट्स को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- **उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम :–** एनपीसीबीबी एवं विभागीय योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिये प्रदेश में पशुधन विकास से जुडे अधिकारियों के तकनीकी ज्ञानवर्धन के लिये देश के ख्याति प्राप्त उच्च प्रशिक्षण संस्थानो (सीएफएसपीएण्डटीआई–हैसरगट्टा, केएलडीबी– केरल आदि) में तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कृत्रिम गर्भाधान, पशु बांझपन निवारण, हिमकृत वीर्य, पशु प्रजनन, पशु पितृ मूल्यांकन, भ्रूण प्रत्यारोपण, पशु संतति परीक्षण, तरल नत्रजन संधारण, चारा विकास, पशु आहार एवं पोषण आदि विभिन्न विषयो पर दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के लिये सम्पूर्ण राशि योजनान्तर्गत आरएलडीबी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

- **प्रशिक्षण केन्द्रो का सुदृढ़ीकरणः–** उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रो के सुदृढिकरण हेतु भी योजनान्तर्गत राशि प्रदान की जाती है। जिसमें कार्यालय, क्लासरूम, होस्टल आदि हेतु

फर्निचर/फर्निशिंग, प्रशिक्षण उपकरण (एलसीडी प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, ओएचपी, स्लाईड प्रोजक्टर आदि) तथा भवन भूमि हेतु आवश्यक सिविल कार्य कराये जाने का प्रावधान उपलब्ध है।

8. **पशु बांझ निवारण शिविर** :– पशु बांझ निवारण शिविरों का उद्देश्य ऐसे पशुओं का उपचार करना है जो किसी प्रजनन सम्बन्धी व्याधि के कारण अस्थायी रूप से प्रजनन के अयोग्य हो जाते है । ये शिविर प्रत्येक जिले मे संयुक्त निदेशक के माध्यम से लगाये जाते है। गौ शालाओं में शिविर आयोजन हेतु राशि रू. 6,000/– प्रति शिविर एवं गौ शालाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर शिविर के आयोजन हेतु राशि रू. 4,000/– प्रति शिविर का प्रावधान है।

9. **राष्ट्रीय/राज्य/संभाग स्तरीय संगोष्टियों का आयोजन** :– राष्ट्रीय गाय भैंस प्रजनन परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर तथा संभाग स्तर पर तकनीकी संगोष्ठीयां आयोजित की जाती हैं ताकि तकनीकी अधिकारियों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ उन्हें परियोजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।

10. **अन्य योजनाऐं:–**

(i) **पशुओं के बीमा में जोखिम का प्रबन्धन**
(Risk Mangement in Animal Insurance)

- नेशनल लाईव स्टॉक मिशन योजनान्तर्गत रिस्क मेनेजमेन्ट के तहत पशुओं का बीमा करवाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से राशि रूपये 197.00 लाख प्राप्त किये जाने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किये गये है।
- योजना का मुख्य उदेश्य पशुपालकों को पशुओं की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली हानि से बीमा करवाये जाने की स्थिति में जोखिम की पूर्ति की जा सके।
- योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में देशी/संकर दूध देने वाले पशु, भार ढोने वाले पशु यथा घोड़ा, ऊँट, सांड, पाड़ा एवं अन्य पशु जैसे बकरी, भेड़, सूअर, इत्यादि का बीमा किया जाना है।
- योजना में प्रत्येक पशुपालक के पाँच पशुओं को बीमित किया जाना है।
- भेड़, बकरी, सूअर, को एक कैटल यूनिट माना गया है। एक कैटल यूनिट 10 पशुओं के बराबर होगी अर्थात् पाँच कैटल यूनिट प्रति लाभान्वित प्रति घर अनुदान देय होगा। यदि किसी पशुपालक के पाँच से कम जानवर होंगे फिर भी उसे एक कैटल यूनिट मानते हुए अनुदान देय होगा।
- समस्त पशुओं का बीमा बाजार दर से पशुपालक, बीमा प्रतिनिधि एवं पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निश्चित किया जावेगा। बीमा एक साल एवं तीन साल का किया जावेगा। जिसमें तीन साल के बीमा किये जाने पर जोर दिया जावेगा।
- बीमा हेतु एक वर्षीय पॉलिसी की प्रीमियम दर 2.90 प्रतिशत एवं 3 वर्षीय पॉलिसी के लिए 7 प्रतिशत प्राप्त हुई है। बीमा कम्पनीयों को कार्यादेश दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होते ही योजना शीघ्र ही प्रदेश में क्रियान्वित की जावेगी।

- योजना में सामान्य क्षेत्र में **<u>APL श्रेणी</u>** के लिए अनुदान निम्नानुसार निर्धारित हैः–

केन्द्रीय सहायता	–	25 प्रतिशत
राज्य सहायता	–	25 प्रतिशत
पशुपालक द्वारा देय राशि	–	50 प्रतिशत (APL श्रेणी के लिए)

BPL, SC, ST के लिए

केन्द्रीय सहायता	–	40 प्रतिशत
राज्य सहायता	–	30 प्रतिशत
पशुपालक द्वारा देय राशि	–	30 प्रतिशत

(ii) **<u>राज्य स्तरीय पशुमेलो हेतु विकास कार्य</u>** :– पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे 10 राज्य स्तरीय पशुमेलों से प्राप्त आय का संधारण आर.एल.डी.बी. द्वारा किया जाता है। जिसकी 90 प्रतिशत राशि का उपयोग संबंधित मेलों की विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मेला स्थल में विकास कार्यो हेतु किया जाता है। पशु मेलों में आयोजित विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं में विजेता पशुपालकों का राशि बोर्ड द्वारा ही प्रदान की जाती है। मेलों के आयोजन हेतु भी राशि मेला समिति के प्रस्ताव पर निदेशक, पशुपालन विभाग की अनुशंषा पर बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है।

(iii) **<u>Pilot Study</u>:-** भारत सरकार के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित अभिकरण (एनआरएए) द्वारा **Pilot Study On Livestock Centric Intervention For Livelihood Improvement In Arid Region Of Nagaur (Raj.)** परियोजना प्रस्ताव 4 वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये है। जिसकी कुल लागत 393.81 लाख (मय 10.3 प्रतिशत टैक्स) हैं। नागौर जिले में कार्य जारी है। योजनान्तर्गत कुल प्राप्त राशि 1,56,10,673 के विरूद्ध दिसम्बर 2014 तक 1,52,75,685 रू. व्यय किये जा चुके है। योजना 31.03.2015 को समाप्त हो रही है।

(iv) **<u>Sheep & Wool Improvement Scheme (SWIS):-</u>** स्वीस स्कीम (12वीं प्लान) हेतु स्ट्रेन्थनी ऑफ शीप ब्रिडींग फार्म, फतेहपुर हेतु राशि रू. 21,00,000/– लगभग तथा शीप शीयरिंग मशीन हेतु राशि रू. 5,00,000/–के प्रस्ताव केन्द्रीय भेड ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर को प्रेषित किये जा चुके है।

(v) **<u>RKVY (NMPS):-</u>** वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत कुल 8,22,05,000/–राशि प्राप्त हुई जिसके विपरीत दिसम्बर 2014 तक 630.40 लाख रू. की राशि ए.आई. किट, डिजिटल थॉविंग यूनिट, फार्मस् की स्थापना एवं सुदृढिकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के सुदृढिकरण पर व्यय की गई है।

(vi) **<u>NATIONAL PROJECT FOR BOVINE BREEDING AND DIARY DEVELOPMENT (NPBB & DD)</u>:-** नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन, ब्रीडींग एण्ड डेयरी डवलपमेन्ट योजनान्तर्गत **RLDB** द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना रूपये 14.04 करोड की स्वीकृति हुई है, इसके लिये रूपये 5.00 करोड की राशि वर्ष 2014–15 हेतु राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है।